13/9/23 पत्रावली पेश हुई/वकील [illegible]/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी [illegible]/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पू[illegible]नुसार
दिनांक...23/11/23 ...को पेश हों।

23/11/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक..29/11/23. ...को पेश हों।

29/11/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेश[illegible]सार
दिनांक..15/1/24.. ...को पेश हों।

16/1/24 दिनांक 15.1.24 का अवकाश होने के कारण आदिनांक
पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदे[illegible]सार
दिनांक...12/2/24 ....को पेश हों।

12/2/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/3/24
को पेश हों।

14/3/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...21/3/24 ....को पेश हों।

21/3/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...2/5/24.. ...को पेश हों।

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने अभिवक्ता राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष को सुना गया

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
[illegible]सिंह वगैरह बनाम धापू कंवर आदि
दावा 02/2022
नं.

तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। माफिक [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

यह फैसला आदिनांक 2.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

दावा बाबत उद्घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारा एंव अधिकार
की घोषणा धारा 53, 88, 91,188

निर्णय दिनांक :: 02.05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ग्राम स्वरूप पुरा तन बेरी तहसील व जिला सीकर के निवासी है तथा वादीगण की भूमि भी इसी ग्राम में अवस्थित है,जो खाता सं0 नया 189 के ख0नं0 3273/769 रकबा 0.1400 है0 व ख0नं0 767 रकबा 2.0000 है0 ख0नं0 796 रकबा 0.0300 है0ख0नं0 797 रकबा 1.8900 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.0600 है0 एंव खाता सं0 नया 21 के ख0नं0 618 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 619 रकबा 5.7700 है0 ख0नं0 750 रकबा 0.4800 है0 गै0मु0 रास्ता जिसमें रास्ते की भूमि ख0नं0 750 रकबा 0.4800 है0 को छोडकर कुल किता 2 में अवस्थित भूमि 5.8200 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमें वादीगण के हिस्से के अलावा 10 बीघा कच्ची भूमि पर वादीगण का संवत् 2028 से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रति0सं0 1 ता 8 का भी हिस्सा अवस्थित है। वादीगण का सजरा खानदान मद सं0 1 अनुसार है। वादीगण के सजरा खानदान में इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादीगण का उपरोक्त भूमियों में पुश्तैनी हिस्सा खाता सं0 नया 189 के ख0नं0 3273/769 ख0नं0 767, ख0नं0 796, ख0नं0 797 कुल किता 4 में प्रत्येक वादीगण का हिस्सा 1/8 अवस्थित है,जो पुश्तैनी है एंव खाता सं0 नया 21 के ख0नं0 618,619 में भी हिस्सा 1/18 अवस्थित है ख0नं0 750 जो गै0मु0 रास्ते की भूमि है, जो पुश्तैनी थी ,जिसमें वादीगण का हिस्सा था। परन्तु उक्त भूमि रास्ते के लिए छोडऋ दी गई थी। वादीगण के कब्जे काश्त में पुश्तैनी भूमि के अलावा 10 बीघा भूमि जिस पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। उक्त भूमि शार्दुल सिंह पुत्र किशन सिंह के हिस्से में थी जो ढाणी वाली जगह जो ख0नं0 619 रकबा 5.7700 है0 में अवस्थित है,जिसका इकरारनामा 16.071996 को शार्दुल सिंह द्वारा वादीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित किया था जो ग्राम पंचायत बेरी में सरपंच के समक्ष राजीखुशी शार्दुलसिंह द्वारा वादीगण को जरिये इकरारनामा द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई थी। परन्तु शार्दुल सिंह के वारिसानों के मन में खोट आ गया इसलिए शार्दुल सिंह के वारिसान उक्त भूमि को बाला–बाला ही विक्रय करने पर आमादा है तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल करने की कुचेष्टा कर रहे है। शार्दुलसिंह की मृत्यु दिनांक 28.12.1996 को हो गई। मृत्यु से पूर्व प्रति0सं0 1 ता 5 द्वारा किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया था। इकरारनामे की शर्तो के अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। परन्तु शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद प्रति0सं0 1 ता 5 वादीगण के हिस्से को जो शार्दुल सिंह द्वारा विक्रय किया जा चुका है, उक्त भूमि को दीगर भूमाफियों को दिखाकर विक्रय करने पर आमादा है। वादीगण को धमकी देते है कि भूमि के राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम चला आ रहा है इसलिए भूमि को विक्रय पत्र बनाकर लट्ठ के जोर पर कब्जा करवा देगे।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

उनवानी प्रकरण नं0 190/78 में दिनांक 08.09.1981 को प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार स्वंय वादी ने जो कि अपने दावे में 1/3 हिस्से का दावा कर रहा था। राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि दावे में अन्तग्रस्त भूमियों में से अपनी हिस्सेदारी स्वेच्छा से समाप्त करता है। इस राजीनामा से शार्दुलसिंह व उसके वारिसान आज भी विबंधित है, इसके बावजूद भी वादी ने अपना हिस्सा जो कि राजीनामें में तय किया था। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया। बिना कब्जे व अधिकार के राजस्व रिकार्ड में बना रहा। उनवानी प्रकरण शार्दुल सिंह बनाम सुगन सिंह आदि मु0नं0 190/78 जो दावा शार्दुल सिंह ने दिनांक 01.07.1978 को बंटवारा उद्घोषणा के लिये पेश किया था। जिसमें शार्दुल सिंह का भाई प्रेमसिंह जो गोद गया था। शार्दुल सिंह उक्त सजरा खानदान में तीन का ही नाम जो क्रमशः सुगनसिंह, शार्दुलसिह, बद्रीसिंह तीन ही वारिसान अपनी विरासत की भूमि में रखने के लिए दावा डिक्री करवाना चाहता था। परन्तु पक्षकारों ने राजीनामा हेतु दिनांक 08.09.1981 को न्यायालय में आवेदन पेश किया। परन्तु वादी शार्दुलसिंह ने उक्त राजीनामे में कोई भूमि अपने पक्ष में नहीं लेकर राजीनामा स्वंय तस्दीक किया, जिसको करने का शार्दुल सिंह पर कोई दवाब नहीं था। इसलिए पूर्व में किये गये दावे से एंव उसके न्याय निर्णय से शार्दुलसिंह के उत्तराधिकारी आज दिनांक तक विबंधित है तथा वादीगण को शार्दुलसिंह द्वारा दी गई भूमि जो जरिये विक्रय इकरारनामा एंव राजीनामा से दी गई है, जिस भूमि पर ही वादी का कब्जा संवत् 2028 से आज तक चला आ रहा है। उक्त भूमि की ही डिक्री राजस्व रिकार्ड में अंकन की जानी आवश्यक है। वादीगण शाांतिपूर्वक अपनी भूमि पर संवत् 2028 से कब्जा व काश्त बनाये हुए है। परन्तु प्रतिवादीगण काफी झगडालू व्यक्ति है जो वादी को दिनांक 26.11.2021 से लगातार भूमि को विक्रय करने एंव वादी को कब्जे से बेदखल करने एंव सीआरपीसी की धारा 107,116(3) में पाबन्द कराने की धमकी दे रहे है कि इस भूमि का विक्रय का करार किया जा चुका है,उक्त भूमि खाली करनी पडेगी। इस तरह की ऐलानियां धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण ने वाद पेश कर मद सं0 11 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 7 एंव 10 जरिये वकील उपस्थित आये। प्रति0सं0 6 एंव 7 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर कलेम पेश किया गया तथा दिनांक 11.12.23 को जरिये वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई व मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड एंव राजीनामा का अवलोकन किया गया। इससे यह जाहिर है कि प्रश्नगत कृषि भूमियां वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमिया है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाना चाहते है।

साक्षी (1)

साक्षी (2) ..... (3)

अभिभाषकता, स्वीकार (4) .....

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि ग्राम स्वरूपपुरा प0ह0 बेरी तहसील व जिला सीकर राज0 में अवस्थित भूमि ख0नं0 619 रकबा 5.7700 है0 में प्रति0सं0 1 ता 3 धापू कंवर पत्नि श्री शार्दुल सिंह, महेन्द्र सिंह, नाहर सिंह पुत्रगण श्री शार्दुल सिंह का 1/9 हिस्सा संपूर्ण एंव प्रति0सं0 4 व 5 मिठु कंवर पत्नि श्री नाहर सिंह एंव संतोष कंवर पत्नि श्री महेन्द्र सिंह प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्से में से 0.7992 है0 भूमि वादीगण सं0 1 ता 3 भंवर सिंह, समदर सिंह, चैन सिंह व 5 पाबुदान सिंह वादी सं0 4 भागीरथ सिंह के वारिसान के पक्ष में 1/5 हिस्सा उद्घोषित किया जाता है। प्रति0सं0 1 ता 3 क्रमशः भंवर सिंह, समदर सिंह, चैन सिह 1/9 हिस्सा संपूर्ण व प्रति0सं0 4 ता 5 मिट्ठु कंवर पत्नि नाहर सिंह व संतोष कंवर पत्नि महेन्द्र सिंह का 1/6 हिस्से में से 0.7992 है0 भूमि वादी सं0 1 ता 3 व 5 का हिस्सा 1/5 तथा वादी सं0 4 के वारिसान में 1/5 हिस्सा बराबर–बराबर उद्घोषणा की जाकर भूमि के संपूर्ण राजस्व रिकार्ड में इनका नाम अकित किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही सभी प्रति0स0 1 ता 3 व 4 ता 5 ने अपना हिस्सा जो पुश्तैनी था,उद्घोषणा की जाती है। इसके साथ ही भूमि ख0नं0 3273/769 रकबा 0.14 है0 भूमि ख0नं0 767 रकबा 2.0000 है0 ख0नं0 796 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 797 रकबा 1.8900 है0 जो ग्राम स्वरूपपुरा प0ह0 बेरी तहसील व जिला सीकर राज0 में अवस्थित भूमि जिसमें वादीगण सं0 1 ता 3 व 5 तथा वादी सं0 4 के फौत होने पर विरासत से प्राप्त वारिसान जो प्रस्तुत दावे में पक्षकार संयोजित है तथा वादी सं0 7 व 8 है, का एंव कमल कंवर पत्नि स्व0 सुगन सिंह के फौत हो जाने पर जो राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अंकित है, उस हिस्से को वादीगण के पक्ष में विरासतन हिस्सा जो वादीगण पक्ष में आता है। उस हिस्से को प्रति0सं0 2 व 3 महेन्द्र सिंह पुत्र शार्दुल सिंह, नाहर सिंह पुत्र शार्दुल सिंह में 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर तथा प्रति0सं0 6 व 7 भवानी सिंह, हाकिम सिंह पुत्रगण प्रेमसिंह के पक्ष में 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर एंव समस्त वादीगण का हिस्सा भी बराबर–बराबर उद्घोषणा की जाती है। प्रतिवादीगण ने अपना हिस्सा समाप्त कर लिया, जो पुश्तैनी हिस्सा था तथा प्रति0सं0 8 जो खरीदशुदा मालिक है, उसका हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार, सीकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने से पूर्व प्रकरण में यदि स्टाम्प ड्यूटि बनती है,तो नियमानुसार जमा कराकर पालना करावे। इसके साथ ही पक्षकारान के मध्य दिनांक 11.12.2023 के राजीनामा के मुताबिक राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर